


सं.ए.12018/26/2015-एमएच-II/एनसीडी-I

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
एनसीडी-I

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में 'मैनेजर वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप' पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं. एबी.14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में मैनेजर वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप (ऑपरेशन थियेटर रूम) पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (पीएन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 414-ए, 'डी' विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110108 को लिखित रूप में या ई-मेल पते prem.narain68@nic.in पर भेज सकते हैं।



(प्रेम नारायण)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23062032

[भारत के राजपत्र, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख ..... 2019  
अधिसूचना

सा.का.नि. .... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (श्रेणी-III) और श्रेणी-IV पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक उनका संबंध अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में मैनेजर वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान में मैनेजर वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और पारंभ : (i) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, मैनेजर वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप 'समूह ग' पद भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।  
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंता आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता - वह व्यक्ति -
  - i. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।
  - ii. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसंधी						
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	ठेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मैनेजर वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप	01 (2019)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसंचिवीय	लेवल - 5 सेवा समूह 'ग' (29,200- 92,300/- रुपये)	अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8) लागू नहीं	(9) लागू नहीं	(10) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा अर्ती की दशा में वे श्रणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>अर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(11)</p> <p>पदोन्नति -</p> <p>पर्यवेक्षक, वोकेशनल गाइडेंस, वेतन मैट्रिक्स का स्तर 4 (35,400 - 112,400/-रुपये) स्तर में पांच वर्ष की नियमित सेवा</p> <p>प्रतिनियुक्ति -</p> <p>(क) (i) केंद्र अथवा राज्य सरकार में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारी अधिकारियों में से अथवा</p> <p>(ख) निम्नलिखित अहताधारी व्यक्तियों से:</p> <p>मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा मुद्रण अथवा फोटोग्राफी अथवा टेक्स्टाइल डिजाइनिंग अथवा आर्ट और क्राफ्ट अथवा इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफ टेलरिंग अथवा किसी अन्य ट्रेड में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा</p>	<p>(12)</p> <p>समूह 'ग' के लिए विभागीय नियमितीकरण समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर निदेशक,</li> <li>2. उप-निदेशक (पुनर्वास)</li> <li>3. प्रशासनिक अधिकारी</li> </ol>	<p>(13)</p> <p>लागू नहीं</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- अध्यक्ष</li> <li>- सदस्य</li> <li>- सदस्य</li> </ul>

(सं. ए-12018/26/2016-एमएच-II)

प्रेम नारायण

(प्रेम नारायण)

अवर सचिव, भारत सरकार